अनवान रुगनाथ बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 04 / 2017
निर्णय तारीखः– 19.12.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 04 / 2017

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2017 / 00127

अनवान

1. रुगनाथ पुत्र सगता।
2. पांचाराम पुत्र वीरमा के कायम मुकाम
   अ. वगतु देवी पत्नी पांचाराम।
   ब. गेनाराम पुत्र पांचाराम।
   स. सवाराम पुत्र पांचाराम।
   द. रमकु पुत्री पांचाराम।
3. सरुपाराम पुत्र वीरमा जातियान कलबी निवासीगण मौखुपुरा तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थीगण...........

1. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।
2. अधिशाषी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग सांचौर।

अप्रार्थीगण...........

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 15.09.2017

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 19.12.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मौखुपुरा (सांचौर) के खसरा संख्या 2760 रकबा 3.02 हैक्टेयर [illegible] 2760/3286 रकबा 0.01 हैक्टेयर प्रार्थी रूगनाथ के खातेदारी की व खसरा संख्या [illegible]9 रकबा [illegible].79 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2829/3290 रकबा 0.01 हैक्टेयर प्रार्थी [illegible] की खातेदारी व कब्जे काश्त की आई हुई है प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा व कब्जासुदा खेत खसरा संख्या 2760 व 2829 के पास में राजकीय सड़क सांचौर से धानेरा जाने वाली चलती है जिसके खसरा संख्या 2761 रकबा 1.39 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सड़क व खसरा संख्या 2823 रकबा 1.19 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क चलती है। भवन एवं पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सड़क (पी.डब्ल्यू.डी) के अधिकारी एवं राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारीयों ने लिपिकीय भूल से प्रार्थीगण के मूल खसरा संख्या 2760 में से एक नया खसरा संख्या 2760/3529 व मूल खसरा संख्या 2829 में से एक नया खसरा संख्या 2760/3529 व मूल खसरा संख्या 2829 में से एक नया खसरा संख्या 2829/3526 का सृजन कर उक्त नये खसरा संख्या 2760/3529 व खसरा संख्या 2829/3526 का प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि होते हुए उसे भवन एवं पथ सार्वजनिक निर्माण सड़क (पी.डब्ल्यु.डी.) सांचौर के नाम से दर्ज कर दी जो एक लिपिकीय भूल है चुंकि भवन एवं पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क (पी.डब्ल्यु.डी.) की सड़क की भूमि के खसरा संख्या 2761 व 2823 रकबा क्रमशः 1.39 हैक्टेयर गैर मुमकीन सड़क व रकबा 1.19 हैक्टेयर गैर मुमकीन सड़क है इस प्रकार उक्त मूल खसरा संख्या में से लिपिकीय भूल से नये खसरा संख्या 2760/3529 व 2829/3526 दर्ज किया गया है जो एक लिपिकीय भूल से किया गया है जिसे जरिये रेकर्ड दुरूस्ती से शुद्धि कर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाना न्याय संगत होने से प्रार्थीगण का धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय मे जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल खसरा संख्या में से लिपिकीय भूल से नये खसरा संख्या 2760/3529 व 2829/3526 दर्ज किया गया है जो एक लिपिकीय भूल से किया गया है जिसे जरिये रेकर्ड दुरूस्ती से शुद्धि कर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाना न्याय संगत होने से प्रार्थीगण का धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावें।

4. हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 485 अनुसार पुराना खसरा संख्या 707 रकबा 65 बीघा 14 बिस्वा भूमि सगता वगैरह कलबी सा. देह खातेदार दर्ज है जिसमें से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग (गैर मुमकीन सड़क) के नाम तहसीलदार के आदेश के अनुरूप पटवारी हल्का सांचौर ने दिनांक 08.11.1977 को उक्त नामान्तरकरण को भरा गया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक सांचौर द्वारा दिनांक 14.11.1977 को इन्द्राज सही माना तथा दिनांक 15.11.1977 को तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार कर पुराना खसरा नंबर 707/1 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा आराजी सार्वजनिक निर्माण विभाग किस्म गैर मुमकिन सड़क राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज [illegible] जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 के खाता संख्या 459 से स्पष्ट है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार [illegible] खसरा संख्या 707/1 में से नवीन खसरा संख्या 2760/3529 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा संख्या 2829/3526 रकबा 0.38 हैक्टेयर नवसृजित हुए है तथा वर्तमान जमाबंदी संवत् 20[illegible] से 2074 के नया खाता संख्या 343 में खेत खसरा संख्या 2760/3529 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा संख्या 2829/3526 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि भवन एवं पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क (पी.डब्ल्यु.डी.) के खाते में दर्ज है तथा नक्शे में गैर मुमकीन सड़क दर्ज है। इस प्रकार नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

संख्या 485 दिनांक 15.11.1977 के उक्त वादग्रस्त आराजी पी.डब्ल्यु.डी. विभाग के नाम दर्ज हुई है जो लगातार करीबन 48 वर्ष से उक्त आराजी पी.डब्ल्यु.डी. विभाग के नाम दर्ज है, परन्तु प्रार्थीगण ने आज दिन तक उक्त नामान्तरकरण संख्या 485 को सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया है तथा नामान्तरकरण को स्वीकृत होने के करीबन 40 वर्षो के बाद प्रार्थीगण ने धारा 136 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र पेश किया है, जबकि धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड में हुई लिपिकीय या अन्य मामूली त्रुटियों को सुधारने से संबंधित है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भवन एवं पथ सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क (पी.डब्ल्यु.डी.) के नाम गलत तरीके से दर्ज हुई है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 485 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी विधिवत् तरीके से पी.डब्ल्यु.डी. के खाते में दर्ज हुई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की श्रेणी में नहीं आता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना—अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested